



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228237  
CG-DL-E-12072021-228237

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2574]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943

No. 2574]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

परिसरों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/ परिसरों जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों (एलएससी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 2779(अ).—परिसरों और दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/परिसरों, जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों (एलएससी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू की जाने वाली दरें, का. आदेश 3173 (ई) दिनांक 29 जून 2018 द्वारा अधिसूचित की गई थी। भाग 'क' के पैरा 5.3 और भाग 'ख' के पैरा 4 के अंतर्गत यथा उल्लिखित इन दरों की अनुप्रयोज्यता अवधि 6 महीने के लिए वैध थी और उसके बाद इन दरों की समीक्षा की जानी थी। इसे का.आ. 372 (ई), दिनांक 23.01.2019 के साथ पठित का.आ. 358 (ई) दिनांक 21.01.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक आगे बढ़ाया गया था, तथा का.आ. 2270 (ई) दिनांक 01 जुलाई 2019 की अधिसूचना द्वारा दिनांक 28.06.2020 तक आगे बढ़ाया गया और का.आ. 2990 (ई) दिनांक 03.09.2020 द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक आगे बढ़ाया गया और का.आ. 771(ई) दिनांक 19.02.2021 द्वारा 30.06.21 तक पुनः आगे बढ़ाया गया।

2. इसी बीच, अधिसूचना का.आ. 3173 (ई) दिनांक 29.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/परिसरों/शॉप प्लॉटों, जिन्हें बाद में भाग 'ख' के स्थानीय बाजारों (एलएससी) के रूप में निर्दिष्ट किया

गया था, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभागों हेतु दरों को आगे युक्तिसंगत बनाया गया और का.आ. संख्या 2891 (ई) दिनांक 09.08.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये दरें दिनांक 28.06.2020 तक वैध थीं। इन दरों की अनुप्रयोज्यता अवधि को का.आ. 2990(ई) दिनांक 03.09.2020 के द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाया गया था और पुनः का. आ. 771 (ई) दिनांक 19.02.21 द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक बढ़ाया गया।

3. अब, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्-द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के अंतर्गत इन प्रभागों की अनुप्रयोज्यता हेतु वैधता अवधि को दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढ़ाता है।

[फा. सं. एफ 2 (14)2020-21/एओ(पी)/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2021

#### **Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.**

**S.O. 2779(E).**—The rates to be applied for fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs were notified vide S.O.3173 (E) dated 29th June, 2018. The period for applicability of these rates as mentioned under Para 5.3 of Part A and Para 4 of Part B was valid for six months and thereafter these were to be reviewed. This was further extended up to 28.06.2019 vide S.O.358(E) dated 21.01.2019 read with S.O.372(E) dated 23.01.2019, up to 28.06.2020 vide Notification No. S.O. 2270(E) dated 1st July, 2019, up to 31.12.2020 vide S.O. 2990(E) dated 03.09.2020 and again up to 30.06.2021 vide S.O. 771(E) dated 19.02.2021.

2. In the meanwhile, in partial modification of Notification S.O.3173(E) dated 29.06.2018, the rates for use conversion charges for shop-cum-residence plots/complexes/shop plots later designated as LSCs under Part B were further rationalized and notified vide S.O. No. 2891(E) dated 09.08.2019. These rates were valid up to 28.06.2020. The period for applicability of these rates was further extended vide S.O. 2990(E) dated 03.09.2020 up to 31.12.2020 and again up to 30.06.2021 vide S.O. 771(E) dated 19.02.2021.

3. Now, in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the validity period for applicability of the charges under Para 1 & 2 above up to 31.12.2021.

[F. No. F2(14)2020-21/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.